न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 25/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 17.2.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

कपिल आत्मज रामनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम नृसिंहपुरा तहसील व जिला बूंदी।

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी जिला बूंदी (राज0)।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभि0 रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 20.9.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं. 256/अपील/18 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान कपिल बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 12.6.2019 के विरूद्ध न्याया0 हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय तहसीलदार बूंदी ने राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 (3) के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम नृसिंहपुरा के ख0 नं0 28 रकबा 6 बीघा किस्म चारागाह पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर गैहू की फसल बाई जाकर अतिक्रमण करने व अपीलार्थी पश्चातवर्ती व आदतन अतिक्रमी की श्रेणी मे होने, राजकीय चारागाह भूमि होने से राज0 उपनिवेशन अधि0 1954 की धारा 22(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये प्रकरण सं0 901/2018 सरकार बनाम कपिल मे दिनांक 28.2.2018 को निर्णय पारित कर 750/–रू0 शास्ति, भूमि से बेदखल, खडी फसल को जप्त कर नीलामी की कार्यवाही एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। तहसीलदार बूंदी के उक्त निर्णय को निरस्त करने हेतु अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे धारा 75 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.6.2019 से खारिज किया गया।

2 प्रथम अपीलेट न्यायालय, जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.6.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नही दिया कि अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है और ना ही अपीलांट का कब्जा पश्चातवर्ती की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को नोटिस की तामील नही की ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अवलोकन किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एंव न्याय के सिद्धान्तों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मान लिया जो त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। अपीलांट द्वारा आदेश की नकल लेने हेतु दिनांक 20.6.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल दि0 22.11.2019 को प्राप्त हुई, इस प्रकार नकल मे लगने वाले समय को कन्डोन करते हुये अपील अवधि मध्य पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट का कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को नोटिस की तामील नही कराई ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अवलोकन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एंव न्याय के सिद्धान्तों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।

5 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि परीक्षण न्यायालय तह0 बूंदी द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर आदेश पारित किया है अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। चारागाह भूमि आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। अपीलांट बार बार अतिचार करने का आदि है जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है जिसके साक्ष्य पत्रावली मे उपलब्ध है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट प्रश्नगत प्रकरण मे कोई अनुतोष प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी नही है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही है। अपील खारिज की जावे।

6 हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चारागाह भूमि है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार सं0 2074 मौसम खरीफ मे भी उक्त चारागाह भूमि पर चावल की फसल कर अवैध अतिक्रमण कर बार अतिचार करने का आदी होना प्रकट है जिसकी पुष्टि तहसीलदार बूंदी की पत्रावली सं0 2191/17 निर्णय दिनांक 16.10.17 से होती है। अतः विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क है कि अपीलांट का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का हस्तगत प्रकरण मे यह भी तर्क रहा है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की बिना तामील कराये व सुनवाई का अवसर दिये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया। इस संबध मे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय मे स्पष्ट वर्णित किया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 9.2.2018 को विधिवत नोटिस दिया गया जो अपीलांट की माता को देकर तामील कराई जाना अंकित है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को अपना जवाब एंव साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलांट की ओर से भूमि के अपने स्वत्व के संबध मे कोई साक्ष्य पेश नही करना पाया गया। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपीलांट का उक्त तर्क भी स्वीकार्य नही है। प्रथम अपीलेट न्यायालय द्वारा निर्णय मे प्रकट अभिमत से स्पष्ट है कि अतिक्रमित भूमि सरकारी चारागाह भूमि है उक्त भूमि पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योकि ऐसी भूमियां राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित भूमि है। चारागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग की होती है तथा मवेशियों की चराई के लिये है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप मे उचित नही माना गया है। प्रथम अपीलेट न्यायालय का उक्त अभिमत विधि सम्मत होने से पारित जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। प्रथम अपीलेट न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यों का परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.6.2019 पारित किया है जो न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की गुजाइंश नही है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 20.9..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा